प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 04.09.2023

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।**
- **थाना शिवली पुलिस ने मात्र 04 दिवस में हत्या के अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा दिनांक 01.09.2023 को दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0स0 305/23 धारा 302/34 भा0द0वि0 बनाम 03 नफर नामजद अभियुक्तगण के पंजीकृत किया गया था ।जिसमें थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 नफर अभियुक्त पिन्टू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र श्री राम पाल निवासी ग्राम बेहटा थाना शिवली कानपुर देहात को आज दिनांक 04.09.2023 को मुखबिर खास की सूचना पर बेहटा गांव मोड़ पर बम्बे के पास थाना क्षेत्र शिवली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सब्बलनुमा राड को गांव के पुराने मकान में घास फूस से बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त पिन्टू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र श्री राम पाल निवासी ग्राम बेहटा थाना शिवली कानपुर देहात ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि साहब मेरे व मेरे भाई हरिकेश उर्फ शशिकान्त से पारिवारिक बटवारे को लेकर अक्सर झगड़ा होता था दिनांक 31.08.2023 की रात को इन्ही बातों को लेकर झगडा काफी बढ गया था मेरा भाई नशे में था व किसी की बात नही सुन रहा था तथा परिवार के सभी व्यक्तियों से उलझ रहा था तथा मुझसे भी मारपीट गाली गलौज लपटा झपटी में आमादा था तब मैने लोहे की सब्बल नुमा राड लेकर घर से खेतों की तरफ दौड़ाया तो वह खेतो में लगे कटीले तारों में फस कर गिर गया तभी मैने लोहे की सब्बलनुमा राड से उसके सिर व चेहरे पर कई वार किये और वह लहू लुहान हो गया और शान्त पड़ गया जब मैने देखा कि कोई हरकत नही कर रहा तब मैं डरकर मोके से लोहे की सब्बलनुमा राड को लेकर खेतो की तरफ भाग गया था तथा फिर वहां से गांव में पुराने घर में आकर घास फूस के अंदर सब्बल को छुपा दिया था जिसे आप लोगों को बरामद करा दिया अभियुक्त ने जुर्म को स्वीकार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.पिन्टू उर्फ शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम पाल निवासी ग्राम बेहटा थाना शिवली कानपुर देहात उम्र 40 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 305/23 धारा 302/34 भा0द0वि0 थाना शिवली कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 77/2015 धारा 147/323/324/504/506 भा0द0वि0 थाना शिवली कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 435/2021 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना शिवली कानपुर देहात

बरामदगी -

1. आला कत्ल 01 अदद सब्बल नुमा लोहे की राड

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री शिव नारायन सिंह थाना शिवली कानपुर देहात
2. उ0नि0 श्री राम सिंह चौकी प्रभारी मैथा थाना शिवली कानपुर देहात
3. का0 951 अंकित कुमार थाना शिवली कानपुर देहात
4. का0 832 प्रवीण कुमार थाना शिवली कानपुर देहात
5. का0 364 सुरेश यादव थाना शिवली कानपुर देहात
6. का0 929 गुरदीप थाना शिवली कानपुर देहात